संख्या: 3/2015/ 133 /पैंतीस-2-2015-3/39(36)/2013

प्रेषक,

कृष्ण कान्त अस्थाना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनउ: दिनांक 05 फरवरी, 2015**

विषय- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए "सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार" योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: 1018/ले0-33/2011, दिनांक 19.12.2014 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में "सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार" योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुपूरक अनुदान के माध्यम से करायी गई बजट व्यवस्था रू0 4.1846 करोड़ के सापेक्ष मानदेय मद में रू0 1.72 करोड़ की स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 14.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 981.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में शासनादेश संख्या: 11/1869/पैतीस-2-2014, दिनांक 12.12.2014 द्वारा निर्गत की गई थी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 4.1858 करोड़ अवशेष है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त् आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोंपरान्त मानदेय मद में रू0 1,72,00,000/- (रू0 एक करोड़ बहत्तर लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में उल्लिखित शर्ते एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) अन्य किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

http://sirdarideshup.nic.in

8- व्यय करने के पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

9- इस संबंध में होनेवाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में सांख्किीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदान के अन्र्तगत मानक मद-07-मानदेय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

संख्या: 3/2015/133(1)/पैतीस-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त अस्थाना)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in